भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1113**

रविवार, 20 सितंबर, **2020/29** भाद्रपद, **1942** (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग को हुआ नुकसान

1113. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग को हुए अनुमानित नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोविड-19 के दौरान पर्यटन उद्योग को हुए नुकसान को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने कोविड-19 के लिए कार्ययोजना बनाने हेतु पर्यटन उद्योग से हितधारकों से परामर्श किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): कोविड**-19** महामारी के पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव और कर, राजस्व तथा रोजगार की क्षति के आकलन के लिए कोई औपचारिक अध्ययन शुरू नहीं किया गया है । तथापि उद्योग जगत के हितधारकों के साथ विचार-विमर्श तथा विचार-मंथन सत्र के अनेक दौर आयोजित किए जाने के बाद राजस्व, विदेशी मुद्रा तथा नौकरियों के व्यापक रूप से नुकसान का संकेत मिलता है । इस क्षेत्र के अत्यधिक असंगठित स्वरूप के मद्देनजर आंकड़ों के रूप में प्रभाव का आकलन समुचित समय पर ही किया जा सकेगा ।

(ख): अर्थव्यवस्था तथा उद्योग जगत की बहाली के लिए भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज अनुबंध । में दिए गए हैं ।

सरकार ने इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक ऋण उपलब्ध कराया

गया है । इस पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया गया है जिसके द्वारा विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के एमएसएमई के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया है । इससे पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा क्योंकि इस क्षेत्र की **70%-80%** इकाइयां एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं ।

(ग): यह मंत्रालय कोविड**-19** के पश्चात पर्यटन क्षेत्र को खोले जाने से संबंधित मुद्दों पर नियमित रूप से हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है और मंत्रालय ने व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए यात्रा एवं आतिथ्य उद्योग के विभिन्न वर्गों के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशें जारी की है । मंत्रालय ने बाजार विकास सहायता योजना के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से परामर्श भी किया है ताकि इस योजना का दायरा और पहुंच बढ़ाई जा सके ।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने कोविड**-19** के प्रकोप के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने और देश में पर्यटन क्षेत्र की बहाली हेतु कार्य योजना/समुचित सिफारिशें करने के लिए पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है । इस कार्यबल में राज्य के पर्यटन मंत्री, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और एफआईसीसीआई, सीआईआई, एसोचैम, डब्लूटीसीआईआई जैसे संगठनों के प्रतिनिधि एवं पर्यटन तथा आतिथ्य संगठनों के प्रमुख शामिल हैं ।

पर्यटन क्षेत्र में कोविड**-19** महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए अन्य कदम अनुबंध **II** में दिए गए हैं ।

*****

अनुबंध I

कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग को हुआ नुकसान के संबंध में दिनांक 20.09.2020 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. **1113** के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों तथा मंत्रालयों द्वारा घोषित पैकेज निम्नानुसार हैं :

- आरबीआई ने आवधिक ऋणों पर स्थगन **31** अगस्त **2020** तक के लिए बढ़ा दिया है I
- सरकार ने इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक ऋण उपलब्ध कराया गया है I इस ऋण की अवधि **4** वर्ष होगी तथा **12** माह की स्थगन अवधि होगीI
- सरकार ने उन संगठनों के लिए तीन महीने के लिए भविष्यनिधि योगदान में छूट दी है जिनके पास **100** से कम कामगार है तथा उनमे से **90%** कर्मचारियो के वेतन **15000** रुपए से कम है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के पीएफ अंशदान को मौजूदा **12%** से घटाकर **10%** कर दिया गया है I यह उन सभी संस्थानों के लिए अगले **3** माह अर्थात सितंबर **2020** तक है जो ई पी एफ ओ द्वारा कवर होते हैंI
- अक्टूबर **2020** तक टीसीएस का स्थगन ।
- **5** करोड़ रुपए तक की कंपनियों के लिए किसी दंडात्मक ब्याज के बिना **3** माह तक रिटर्न फाइल करना स्थगित किया गया और शेष के लिए **9%** के दंडात्मक ब्याज का प्रावधान किया गया है I
- केंद्र सरकार ने व्यवसाय की निरंतरता और उत्थान सुनिश्चित करने के लिए कोविड**-19** संकट के मद्देनजर आयकर अधिनियम**,** कंपनी अधिनियम तथा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अलग-अलग अवधि के लिए विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं से छूट भी दी है I

*****

अनुबंध II

कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग को हुआ नुकसान के संबंध में दिनांक 20.09.2020 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. **1113** के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

पर्यटन क्षेत्र में कोविड**-19** के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. कोविड**-19** सुरक्षा तथा स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पैदा करने प्रशिक्षण और दिशा निर्देशों के अनुपालन के आकलन के लिए विस्तृत प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं I इस कार्यक्रम का लक्ष्य आतिथ्य उद्योग विशेष रूप से छोटी तथा मझौली इकाइयों को बहाल होने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता देने के लिए क्षमता निर्माण करना है I

ii. सभी अवर्गीकृत आवास इकाइयों के समन्वयन और उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए देशभर में विभिन्न आवास इकाइयों की एक सुदृढ़ सूचना प्रणाली/व्यापक डाटाबेस तैयार किया गया है I

iii. होटलो, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे तथा पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशें तैयार की गई है और व्यवसाय की निर्बाध बहाली सुनिश्चित करने के लिए **8** जून **2020** को जारी की गई है I

iv. ऐसे होटलों तथा अन्य आवास इकाइयों जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनःअनुमोदन तथा वर्गीकरण/ पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने वाला है उनकी अनुमोदन अथवा प्रमाणन की वैधता अवधि को **30** सितंबर, **2020** तक के लिए बढ़ा दिया गया है I

v. मंत्रालय ने क्यू सीआई के सहयोग से होटलों, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए कोविड**-19** तथा उसके पश्चात की स्थिति में जारी दिशा निर्देशों/एसओपी के कारगर कार्यान्वयन के लिए साथी (सिस्टम फॉर एसेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक एक पहल की है I

*****